न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—13/17 (2017/00043) वाद पत्र

उनवान

1—बालुराम पिता कन्हैयालाल भदादा निवासी रायपुर तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—रूपाल पुत्री कन्हैयालाल भदादा निवासी रायपुर तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—चन्दा पुत्री कन्हैयालाल भदादा निवासी रायपुर तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—संतोष पुत्री कन्हैयालाल भदादा निवासी रायपुर तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—मुन्ना पिता कन्हैयालाल भदादा निवासी रायपुर तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
— जरिये आम मुख्तियार कैलाशचन्द्र पिता कन्हैयालाल भदादा निवासी रायपुर
6—कैलाशचन्द्र पिता कन्हैयालाल भदादा निवासी रायपुर तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—देवजी स्थान देह जरिये सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग अजमेर
2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 12.03.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पेश कर निवेदन किया कि तहसील रायपुर के ग्राम रायपुर की आराजी नम्बर 2484 रकबा 0.30 है0, आराजी नम्बर 2487 रकबा 0.14 है0, किता 2 कुल रकबा 0.44 है0 भूमि के साबिक खसरा नम्बर 1076 रकबा 0.13 बीघा, खसरा नम्बर 1077 रकबा 1.08 बीघा मेवाड़ बन्दोबस्त के समय खड़मदार, विलासीराम वल्द गणेश राम महाजन के नाम खड़मदारी अधिकारो से दर्ज रकार्ड थी साबिक आराजी नम्बर 1076 धनराज वल्द जोधराज महाजन के रहन थी तथा साबिक आराजी संख्या 1077 रामनाथ वल्द रणजीतराम ब्राहम्ण के रहन थी जिसे वादीगण के दादा स्व. नीलापत पिता मानसिंह महाजन ने पंजीकृत विक्रय पत्र 21.11.1940 को 260.25/— के प्रतिफल में खड़म अधिकार जो मेवाड़ राज्य में विक्रय योग्य होने से क्रय किये गये थे तथा उक्त भूमि वादीगण के दादा नीलापत जी के क्रय करने उपरान्त रहनदारो से भूमि रहनमुक्त कराने के बाद वादीगण के दादा की थी उनके निधन हो जाने से वादीगण के पिता कन्हैयालाल पिता नीलापत के नाम संवत 2033 से 2036 बहैसियत खड़मदार दर्ज हुई व वादीगण के पिता का निधन दिनांक 18.08.2000 को हो गया जिसके बाद उक्त आराजियात पर वादीगण काबिज होकर काश्त लाभ लेते आ रहे है खड़मदारी अधिकार मेवाड़ राज्य में कानुन मे हस्तान्तरण योग्य अधिकार थे जिस वजह से वादीगणों के दादा द्वारा क्रय करने से वादीगणो के कब्जे काश्त में चली आ रही है खातेदार देवजी स्थान देह केवल मात्र हासल भोग मालिक थे जागीरदारी अधिनियम के अधीन माफी की भूमिया रिज्यूम होते ही खडमदारो को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने त्रुटिवश उक्त भूमि मे से देवजी स्थान देह का नाम नही हटाया उक्त आराजियात वादीगणो के पिता बहैसियत खडमदार दर्ज रेकार्ड थे, लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने राज्य सरकार के

आदेश क्रमांक प.2 (प.राज.) 4/90/3 दिनांक 31.12.1991 से पुजारियो के नाम हटाने की जगह वादीगणो के पिता का नाम जो बहैसियत खडमदार सिकमी 2046 से 2049 की जमाबन्दी में दर्ज था जिसे बिना किसी आदेश से हटाकर देवजी स्थान देह के नाम तन्हा दर्ज कर दिया जो वादीगण के मुकाबले आरम्भ से ही अवैध होकर शुन्य है राजस्व अधिकारियो को बिना वादीगण को सुने व बिना नोटिस दिये वादीगण के पिता का नाम हटाने का कतेही अधिकार नही था राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड रिज्यूमशन आफिर जागीर एक्ट 1952 की धारा 9 व 10 तथा आरटीए 1955 की धारा 15 के तहत् वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये माफी की भूमिया खड़मदारो के नाम खातेदारी अधिकारो से दर्ज होने योग्य है। अतः वादीगण के पक्ष विरूद्व प्रतिवादी वाद में वर्णित ग्राम रायपुर की नवीन आराजी संख्या 2484 रकबा 0.30 है0 खसरा नम्बर 2487 रकबा 0.14 है0 कुल किता 2 रकबा 0.44 है0 भूमि वादीगण के नाम खातेदारी अधिकारो की घोषणा की डिक्री जारी फरमाई जावे व राजस्व रेकार्ड में वादीगण का नाम अभिलिखित कराया जावे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमायी जावे कि वाद में वर्णित आराजियात का वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नही करे न वादीगण का आधिपत्य हटावे, न कोई ऐसा कृत्य करे जिससे वादीगण के हितो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़े ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे न अन्य से करावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 02.07.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे तहसीलदार रायपुर के द्वारा जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है विपक्षी क्रमांक को जरिये डाक रजिस्डर्ड ए.डी. दिनांक 21.12.2017 द्वारा तामिल भेजी गई जिसकी रसीद नम्बर आर.आर. 523448069 आईएन है जो शामिल पत्रावली है प्रतिवादी 1 की ओर से कोई उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्रकरण के समर्थन में वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि रायपुर के हाल आराजी संख्या 2484 रकबा 0.30 है0 एवं आराजी नम्बर 2487 रकबा 0.13 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 है0 भूमि स्थित है जिसकी नकल पेश की जो प्रदर्श 1 है । इसी के साथ साबिक आराजी नम्बर 1076 व 1077 के मिलान क्षेत्रफल की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श 2 है तथा साबिक जमाबन्दी की नकल पेश की गई जो प्रदर्श 3 है शपथ पत्र में यह भी निवेदन किया कि साबिक आराजी मेवाड़ रियासत के समय खड़मदारी हक थी व खड़मदारी अधिकार हस्तानान्तरण योग्य होने से बिलासीराम वल्द गणेशराम महाजन के नाम आराजी नम्बर 1077 खड़मदार के हिस्से से दर्ज थी तथा आराजी नम्बर 1076 धनराज वल्द जोधराज महाजन के रहन थी तथा इसी प्रकार आराजी नम्बर 1077 रामनाथ वल्द सीताराम ब्राहम्ण के रहन थी जिसको वादीगण के दादा स्व. नीलापत पिता मानसिंह महाजन के द्वारा 21.11.1940 को 260.25/– के प्रतिफल के रूप में अदा करके पंजीकृत विक्रय पत्र से छुड़ा करके क्रय की गई जो संवत 2033 से 2036 में वादीगण के दादा नीलापत के नाम दर्ज हुई। जमाबन्दी संवत 2030 से 2033 प्रदर्श 4 विक्रय पत्र प्रदर्श 5 जमाबन्दी संवत 2046 से 2049 प्रदर्श 6 जमाबन्दी संवत 2010 से 2013 प्रदर्श 7 है। देवस्थान देह का इस भूमि पर कभी कोई आधिपत्य नही रहा जागीर अधिनियम प्रभाव में आते ही माफी भूमियों में खड़मदार जो भौतिक रूप से कब्जे काश्त मे थे उनके अभिलिखित हो गई राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13.12.1991 से मात्र पुजारियो के नाम हटाने थे जिसकी जगह

वादी के पिता कन्हैयालाल वल्द नीलापत महाजन जो पुजारी नही होकर खड़मदार थे उनका नाम गलती से हटा दिया जिससे वादीगण प्रकरण में वर्णित आराजियात के खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है ओर अन्त में यह भी निवेदन किया कि वाद में वर्णित भूमि पर खड़म क्रय दिनांक 21.11.1940 से वादीगण व वादीगण के पिता कन्हैयालाल के अधिकार आधिपत्य व कब्जे काश्त में चली आ रही है। इसके उपरान्त वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में वादीगण के नाम दर्ज कराने की इस्त दुआ की। ओर वाद के समर्थन न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित अपील निर्णय 1799/11/टीए/चितौडगढ़ शिवनाथ बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 11.01.2016 की प्रति तथा इसके साथ राजस्थान सरकार के राजस्व (गुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक–3 (2) राज–6/2007/14 जयपुर दिनांक 24.05.2007 की प्रति पेश की गई जो शामिल पत्रावली है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया तो पाया कि वाद पत्र में अकिंत आराजियात में मेवाड़ रियासत के समय खड़मदार के हैसियत से दर्ज रेकार्ड थी जिसे वादीगण के दादा नीलापत के द्वारा जरिये रजिस्डर्ड दस्तावेज के भूमि क्रय की गई है ओर उसी दस्तावेज के अनुसार प्रकरण में वर्णित साबिक आराजियात 1076 व 1077 खड़मदार कन्हैयालाल सुन्दरलाल पिता नीलापत के नाम खड़मदार की हैसियत से दर्ज थी देवजी स्थान के नाम दर्ज भूमि के कई आराजियात सम्मिलित थे, जो अलग अलग रूप से जैसे पुजारी की हैसियत से, खड़मदार की हैसियत से, सर्वाकार आदि की हैसियत से दर्ज रेकार्ड थी राजस्व कर्मचारियो के द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13.11.1991 में दिये गये निर्देशो पर गंभीरता पूर्वक विचार नही कर खड़मदार का नाम हटा दिया जबकि उस परिपत्र में यह स्पष्ट निर्देश थे की राजस्व रेकार्ड में पुजारी अथवा सेवायत का नाम दर्ज करने का कोई प्रावधान नही है ओर ऐसे नाम दर्ज होने से इसका काफी दुरूपयोग होता है इसी बात को ध्यान मे रखते हुए परिपत्र में स्पष्ट किया कि देवमुर्ति के साथ जंहा भी पुजारी का नाम आया है वंहा पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जावें तथा प्रशासनिक सुविधा के लिये एक रजिस्टर मन्दिर के पुजारियो के सम्बन्ध में तहसील स्तर पर रखा जावे भविष्य में जो जमाबन्दी राजस्व विभाग या बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाई जावे उनमें देवमुर्ति के साथ पुजारी या सेवायत का नाम नही लिखा जावें ओर इस परिपत्र में स्पष्ट निर्देश होने के बाद भी राजस्व कर्मियों के द्वारा पुजारी एवं सेवायत के साथ साथ खड़मदार पट्टेदार के रूप में दर्ज थे उनके नाम भी हटा दिये थे जिससे ऐसे व्यक्तियो के द्वारा ऐसे तथ्य राज्य सरकार के ध्यान मे लाये गये जिस पर राज्य सरकार के द्वारा पुनः दिनांक 24.05.2007 को परिपत्र जारी कर निर्देश प्रदान किये गये कि मन्दिरो को माफी की भूमि जागीर के रूप में दी गई थी तथा राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभावी होने पर जागीरदारो के पुर्नग्रहण के साथ साथ ऐसी भूमियो का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत किया गया जिसके अनुसार जो भूमि जागीरो के पुर्नग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज रखते हुए खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये है।

जागीर भूमियो में खातेदारी अधिकार

" जागीर भूमि में प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखो में एक खातेदार, पट्टेदार खड़मदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमे यह अन्तरित हो सके काश्तकार को काश्तकारी में अनुवाशिंक ओर पूर्ण अर्न्तरण के अधिकार प्राप्त है ओर ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे ओर वह ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा। ओर जागीर अधिग्रहण के समय मन्दिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खड़मदार आदी नाम से दर्ज थी उनमें उन काश्तकारों कों पूर्णरूपेण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है। ऐसी भूमियो को पुनः मन्दिर के नाम दर्ज किया जाना विधिसम्मत नही है राजस्व रेकार्ड में ऐसे व्यक्तियो के नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा। "

इस प्रकरण में वर्णित भूमि मेवाड़ रियासत के दौरान देवजी स्थान के नाम दर्ज थी जिसमे वादीगण के दादा द्वारा खड़मदारी भूमि रजिस्डर्ड दस्तावेज से क्रय की है ओर राजस्व रेकार्ड में खड़मदार की हैसियत से वादीगण के पिता एवं वादीगण का नाम दर्ज था जिसको राजस्व कर्मियो के द्वारा राज्य सरकार के इस परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के द्वारा हटा दिया गया था। जबकि खड़मदार का नाम इस परिपत्र के माध्यम से नही हटाया जाना था। साथ ही माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे विचाराधीन अपील 1799/11/टीए/चितौडगढ़ शिवनाथ बनाम राजस्थान सरकार के मामले में खण्डपीठ द्वारा दिये निर्णय दिनांक 11.01.2016 के अनुसार भी खड़मदार को खातेदार मानते हुए सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चितोड़गढ द्वारा दावा संख्या 364/07 अर्न्तगत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम शीर्षक शिवनाथ आदि बनाम सरकार आदि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिंनाक 09.03.2010 को बहाल रखा गया है जिसके अनुसार भी उक्त प्रकरण स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

आदेश

अतः ग्राम रायपुर की साबिक खसरा नम्बर 1076 रकबा 0.13 बीघा, खसरा नम्बर 1077 रकबा 1.08 बीघा जिसके नवीन आराजी नम्बर 2484 रकबा 0.30 है0, आराजी नम्बर 2487 रकबा 0.14 है0, किता 2 कुल रकबा 0.44 है0 के सम्बन्ध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण को उक्त नवीन आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल हेतु पालनार्थ तहसीलदार रायपुर लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.03.2020

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–13/17 (2017/00043) वाद पत्र

उनवान

1–बालुराम पिता कन्हैयालाल भदादा निवासी रायपुर तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–रूपाल पुत्री कन्हैयालाल भदादा निवासी रायपुर तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–चन्दा पुत्री कन्हैयालाल भदादा निवासी रायपुर तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–संतोष पुत्री कन्हैयालाल भदादा निवासी रायपुर तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–मुन्ना पिता कन्हैयालाल भदादा निवासी रायपुर तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
– जरिये आम मुख्तियार कैलाशचन्द्र पिता कन्हैयालाल भदादा निवासी रायपुर
6–कैलाशचन्द्र पिता कन्हैयालाल भदादा निवासी रायपुर तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–देवजी स्थान देह जरिये सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग अजमेर
2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188, 92ए रा0 टि0 एक्ट

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम रायपुर की साबिक खसरा नम्बर 1076 रकबा 0.13 बीघा, खसरा नम्बर 1077 रकबा 1.08 बीघा जिसके नवीन आराजी नम्बर 2484 रकबा 0.30 है0, आराजी नम्बर 2487 रकबा 0.14 है0, किता 2 कुल रकबा 0.44 है0 के सम्बन्ध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण को उक्त नवीन आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल हेतु पालनार्थ तहसीलदार रायपुर लिखा जावें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 12.03.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

12/3/2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.03.17 18:02:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: